

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

आरोपी सह श्री एम0वाय0शेख अधिवक्ता।

प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री एम0वाय0शेख द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई।

उभयपक्ष ने अपने आवेदन पत्र में व्यक्त किया गया है कि आरोपी के साथ न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो गया है तथा उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है एवं आपस में चाचा-भतीजा है तथा आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वैच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य सुबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत नरबद गिरी को आरोपी छोड़ गिरी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

फरियादी/आहत नरबत गिरी स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री एम. वाय.शेख अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी/आहत से पूछे जाने पर उन्होंने स्वैच्छया पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भाग-दो भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र रूपझर द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भाग दो भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। फलतः फरियादी/आहत नरबत गिरी को आरोपी छोड़ गिरी से धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत नरबत गिरी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेश किया गया कि उसके आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके है तथा आरोपी उसके गांव के होकर चाचा-भतीजे है। उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वैच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत नरबद गिरी को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी छोटू गिरी को धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक डंडा का बेसा बांस की लकड़ी का है जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)